बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–02–21 / 2022(स्वा0) ..... / पटना, दिनांकः–.....

डा0 उमेश कुमार दिवाकर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टनकुप्पा, गया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष–2017–18 में जेनरेटर संचालक को कुल 2,36,400 / – रू0 अधिक भुगतान करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1421(9) दिनांक–26 11.2019 एवं संशोधित संकल्प सं0–977(9) दिनांक–10.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया

2. विभागीय पत्रांक–721(9) दिनांक–05.09.2022 द्वारा डा0 दिवाकर से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। उनका प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक–1137(9) दिनांक– 16.10.2023 द्वारा डा0 दिवाकर को द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डा0 दिवाकर द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में अंकित किया गया है कि जिस समादेश याचिका सं0–16211 / 2017 में दिनांक–08.10 2018 को पारित आदेश से उदभूत होकर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी, उसे दिनांक–14.07.2022 को पारित आदेश में खारिज कर दिया गया है। डा0 दिवाकर दिनाक–05.06.2017 से निकासी एव व्ययन पदाधिकारी घोषित किये गये थे, परन्तु आरोप में उनके विरूद्ध मार्च 2017 से जेनरेटर सचालन को अधिक भुगतान करने का आरोप गठित किया गया है। बाध्यकारी परिस्थितियों में कर्त्तव्य पर उपस्थित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त ही विपत्र का भुगतान किया गया। जॉच समिति द्वारा एम०आर०आई० एनालाईसीस कर अधिक भुगतान करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

4. विभागीय पत्रांक–1717(9) दिनांक–29.11 2023 के आलोक में सिविल सर्जन, गया के पत्रांक–3993 दिनाक–21.12.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि मार्च 2017 से दिनांक–04.06.2017 डा0 पवन कुमार संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे, परन्तु आवंटन के अभाव में उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। उक्त अवधि के विपत्र का भी डा0 दिवाकर द्वारा दिनाक–16.08 2017 को भुगतान किया गया है।

5. वस्तुस्थिति है कि समादेश याचिका सं0–16211 / 2017 में दिनांक–12.07.2022 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिकाकर्त्ता के NRHM की अनियमित रूप से निकासी की जॉच CBI से कराने का अनुरोध किया गया है। जेनरेटर संचालक को अधिक भुगतान करने वाले दोषी चिकित्सा पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगाई गयी है। डा0 दिवाकर द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में जेनरेटर संचालक को अधिक भुगतान करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अधिक भुगतान करने के आरोप को खण्डित करता हो।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरांत डा0 उमेश कुमार दिवाकर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टनकुप्पा, गया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में जेनरेटर संचालक को अधिक कुल 2,36,400 / – रू० अधिक भुगतान करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयी प्रभाव के साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति

03/03/405

(15)

अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया है। विभागीय पत्रांक–677(9) दिनांक–07.08.2024 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–3694/लो०से०आ० दिनांक–31.12.2024 के द्वारा उक्त अधिरोपित शास्ति प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी।

7. अतएव डा0 उमेश कुमार दिवाकर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टनकुप्पा, गया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में जेनरेटर संचालक को अधिक कुल 2,36,400/– रू० अधिक भुगतान करने के प्रमाणित आरोप के लिए संचयी प्रभाव के साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–21/2022(स्वा0) 199(9) **/ पटना, दिनांकः–** 05.03.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 उमेश कुमार दिवाकर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टनकुप्पा, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

03/03/2025
सरकार के अवर सचिव।